

न्यायालय—दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—300 / 2011

संस्थित दिनांक—27.05.11

फाईलिंग क्र.234503001902011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

अशोक उर्फ येशोद पिता खेमराज, उम्र—37 वर्ष,
निवासी—ग्राम पिण्डकेपार, थाना रूपझर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक—20/06/2017 को घोषित)

1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—11.05.11 को समय 10:30 बजे स्थान पिण्डकेपार थाना रूपझर जिला बालाघाट में लोकस्थान या उसके समीप प्रार्थिया सरस्वताबाई को मां—बहन की चोदू की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, प्रार्थिया सरस्वताबाई को हस्या से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर, प्रार्थिया को जान से खत्म कर देने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सरस्वताबाई ने पुलिस चौकी उकवा अंतर्गत थाना रूपझर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक—11.05.11 को दोपहर 3:00 बजे फरियादी की पुत्री गिरजाबाई ने उनके तथा अशोक उर्फ येशोद की बाड़ी की मेढ़ पर लगे आम के झाड़ से आम तोड़ा था तो उसे अशोक उर्फ येशोद देखकर गाली—गलौज करने लगा था। फरियादी ने अशोक उर्फ येशोद को उसकी पुत्री को गाली देने से मना किया था तो अशोक उर्फ येशोद एकदम आवेश में आया और फरियादी को माँ—बहन चोदू की गंदी—गंदी गालियां देने लगा था तथा उसके हाथ में रखा हस्या फरियादी के सिर में बाँए तरफ मारा था, जिससे उसे चोट लगकर खून निकला था। अशोक उर्फ येशोद ने फरियादी को लकड़ी से दाहिने बाँए पीठ पर, बाँए घुटने के नीचे तथा सिर में मारा था। अशोक उर्फ येशोद ने फरियादी को मौके पर जान से खत्म कर देने की धमकी दी थी। मौके पर गवाह सुन्दर गोलर, प्रवीण गोलर

ने घटना को देखी एवं सुनी थी। फरियादी ने घटना के बारे में उसके पति भगनसिंह व ससुर दौलतराम को बताया था। पुलिस चौकी उकवा, अंतर्गत थाना रूपझर ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक-65/2011 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

3- अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-11.05.11 को समय 10:30 बजे स्थान पिंडकेपार थाना रूपझर जिला बालाघाट में लोकस्थान या उसके समीप प्रार्थिकया सरस्वताबाई को मां-बहन की चोदू की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थिकया सरस्वताबाई को हस्या से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की थी ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थिकया को जान से खत्म कर देने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?

—: विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- उक्त साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इस कारण उक्त सभी विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7- साक्षी सरसताबाई (अ.सा.01) का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक-दो वर्ष पूर्व की शाम के 04:00 बजे की है। साक्षी की पुत्री गिरजाबाई बाड़ी में आम तोड़ने गयी थी तो अभियुक्त गाली गुप्तार कर मारने दौड़ा तो उसकी पुत्री वहां से भाग गयी थी। साक्षी बाड़ी से आ रही थी तो अभियुक्त ने उसे खड़े-खड़े चोदू की गाली दी थी जो साक्षी

को सुनने में बुरी लगी थी। अभियुक्त ने साक्षी को पत्थर से मारा था जिससे साक्षी के सिर पर चोट आयी थी। अभियुक्त इसके बाद दौड़कर साक्षी को लकड़ी से मारने लगा था जिससे साक्षी को पीठ, जांघ और पैर में चोट आयी थी। अभियुक्त साक्षी का गला दबाने लगा था, किशोर, सुंदर और प्रवीण ने आकर बीच बचाव किया था। साक्षी ने चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखायी थी। पुलिस ने साक्षी का मेडीकल परीक्षण कराया था। साक्षी के पुलिस ने कथन लिये थे और घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया था।

8— साक्षी सुंदर (अ.सा.03), प्रवीण गडेर (अ.सा.06) का कथन है कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। दोनों साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर प्रवीण गडेर (अ.सा.06) ने अपने सुझाव में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.05 बनाया था। मौकानक्शा प्र.पी.05 के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। प्रवीण गडेर (अ.सा.06) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.08 के पुलिस कथन पर पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। पुलिसवालों ने साक्षी को यह पढ़कर नहीं बताया था कि उससे क्यों हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं। साक्षी सुंदरलाल (अ.सा.03) और प्रवीण गडेर (अ.सा.06) ने अपनी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है।

9— साक्षी किशोर (अ.सा.02) का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक-दो वर्ष पूर्व की दोपहर के समय की है। आम तोड़ने पर से अभियुक्त ने उक्त साक्षी के बच्चे को गालियां बकी थी। इस कारण साक्षी की बहु समरताबाई घटनास्थल पर गयी थी। तब अभियुक्त ने सरसताबाई के सिर में पत्थर मार दिया था। साक्षी और प्रवीण ने बीच बचाव किया था। घटनास्थल पर सुंदरलाल भी उपस्थित था। पुलिस ने साक्षी के कथन लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त पत्थर मारकर आम तोड़ रहा था। वही पत्थर फरियादिया सरसताबाई को लगा था।

10— साक्षी एन.आर.रंगारे (अ.सा.04) का कथन है कि वह दिनांक 11.05.2011 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडीकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को पुलिस चौकी उकवा के आरक्षक सुनील कुमार नम्बर 202 आहत सरसताबाई को मेडीकल परीक्षण के लिए लेकर आया था। चिकित्सक ने आहत के परीक्षण में निम्न उपहतियां पायी थी— चोट क्र01 आहत के मस्तिष्क के बायें हिस्से पर 05 गुणा 0.5 से.मी. का खड़ा फटा हुआ घाव था। चोट क्र02 पीठ के

उपर एवं दाहिने हिस्से पर 01 से.मी. गुणा 01 से.मी. की खरौंच थी। आहत की दोनों चोटें कड़ी व बोथरी वस्तु से आना दर्शित थीं। घटना में फटा हुआ घाव मांसपेशियों की गहराई तक एवं खरौंच उपरी सतह तक थी। आहत की दोनों चोटें मेडीकल परीक्षण के समय 24 घण्टे के अंदर की होकर सामान्य प्रकृति की थीं। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.02 है जिसके ए से ए भाग पर चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत की चोटें सामान्य प्रकृति की थीं। चिकित्सक ने अपने सुझाव में यह स्वीकार किया है कि आहत को कड़े एवं खुदरे भाग में गिरने से उक्त चोटें आ सकती थीं।

11— साक्षी फूलचंद (अ.सा.05) का कथन है कि वह दिनांक 11.05.2011 को चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादिया सरसताबाई की मौखिक रिपोर्ट पर अपराध क्र. 0/11 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रधान आरक्षक बोधेश्वर प्रसाद दुबे ने लेख की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 को थाना रुपझर का आरक्षक कपूर बिसेन लेकर गया था जो असल प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 65/2011 पर दर्ज की गयी थी जो प्र.पी.04 है जिसके ए से ए भाग पर कपूर बिसेन के हस्ताक्षर हैं साक्षी फूलचंद ने प्रधान आरक्षक बोधेश्वर प्रसाद दुबे एवं कपूर बिसेन के साथ कार्य किया है इस कारण उक्त साक्षी दोनों के हस्ताक्षर को जानता है। इसी साक्षी ने प्रतिवेदन अनुसंधान के लिए प्राप्त होने पर दिनांक 12.05.2011 को घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.05 तैयार किया था जिस पर फरियादिया सरसताबाई की अंगूठा निशानी लिया था। उक्त दिनांक को फरियादिया सरसताबाई, साक्षी प्रवीण, सुंदरलाल, किशोर के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 14.05.2011 को अभियुक्त अशोक उर्फ यशोद से जप्ती पत्रक प्र.पी.06 के अनुसार एक पत्थर का टुकड़ा एवं एक नग लकड़ी जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया था। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त अशोक को गिरफ्तार कर प्र.पी.07 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में सुझाव में यह यह अस्वीकार किया है कि उसने नक्शा मौका थाने में बैठकर बनाया था। इस साक्षी ने उसके अनुसंधान की पुष्टि की है।

12— प्रकरण में अभियुक्त द्वारा फरियादिया को अश्लील गालियां दिये जाने का प्रश्न है तो फरियादिया सरसताबाई ने उसकी साक्ष्य में अश्लील शब्दों के बारे में बताया है। परंतु फरियादिया की उक्त बात का समर्थन प्रकरण के किसी अन्य साक्षीगण ने नहीं किया है। यहां तक की फरियादिया के ससुर किशोर ने भी

उक्त बिंदु पर फरियादिया की साक्ष्य का समर्थन नहीं किया है। धारा-294 भा.दं. सं. के अपराध को साबित करने के लिए यह बताया जाना आवश्यक है कि उच्चारित किये जाने वाले शब्द इस सीमा तक अश्लील थे जो किसी व्यक्ति को अनैतिक या भ्रष्ट आचरण करने के लिए उकसाते हों। फरियादिया की साक्ष्य एवं प्र.पी.03 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अश्लील शब्दों के संबंध में विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर आयी उक्त साक्ष्य को देखते हुए अभियोजन पक्ष धारा-294 भा.दं.सं. का आरोप साबित करने में असफल रहा है।

13— प्रकरण में अभियुक्त द्वारा फरियादिया के साथ मारपीट किये जाने का प्रश्न है तो फरियादिया सरस्वताबाई एवं किशोर अ.सा.02 ने उनके मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने पत्थर से सिर में मारकर चोट पहुंचायी थी। परंतु किशोर ने उसके प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त पत्थर मारकर आम तोड़ रहा था तो वह पत्थर फरियादिया को लगा था। किशोर की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने फरियादिया को जानबूझकर पत्थर मारकर चोट नहीं पहुंचायी थी। फरियादिया द्वारा लिखायी गयी प्र.पी.03 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखाया है कि अभियुक्त ने हंसिया से फरियादिया के सिर में बायें तरफ चोट पहुंचायी थी। फरियादिया की साक्ष्य एवं प्र.पी.03 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में पत्थर से फरियादिया के सिर पर मारकर चोट पहुंचाने के संबंध में विरोधाभास है। फरियादिया ने अभियुक्त द्वारा लकड़ी से मारने के कारण पीठ, जांघ, पैर में उपहति आना बताया है। प्र.पी.03 प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखा है कि फरियादी को अभियुक्त ने लकड़ी से दाहिने बक्खा, पीठ बाएं घुटने के नीचे उपहति कारित की थी। फरियादी की साक्ष्य में दाहिने बक्खा की चोट के संबंध में विरोधाभास है। साधारणतः किसी साक्षी से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह एक के बाद एक तेजी से होने वाली घटना के क्रम को ठीक-ठीक याद रखेगा। कभी-कभी कोई साक्षी भ्रमित हो जाता है और कोई-कोई साक्षी पूर्णतः सत्यवादी होने के उपरांत भी न्यायालय के वातावरण वह प्रतिपरीक्षा से भी विचलित हो सकता है ऐसी असंगतियां जो मामले की जड़ तक नहीं पहुंचती और मामले की मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं करती वहां असम्यक महत्व नहीं दिया जा सकता। साक्षी की साक्ष्य के छोटे-मोटे अंतर के आधार पर साक्षी के पूर्ण कथनों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। चिकित्सक एन.आर.रंगारे अ.सा.04 ने फरियादिया की पीठ के ऊपर की उपहति का समर्थन किया है। इस संबंध में चिकित्सक द्वारा दी गयी मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.02 है। चिकित्सक की

साक्ष्य से फरियादी की पीठ की उपहति का समर्थन होता है।

14— फरियादिया ने उसकी साक्ष्य में हंसिया से मारने के बारे में नहीं बताया है। परंतु प्र.पी. 03 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखा है कि अभियुक्त ने फरियादिया को हंसिया से मारकर बायें तरफ उपहति कारित की थी। फरियादिया की साक्ष्य का समर्थन प्रकरण के किसी स्वतंत्र साक्षी ने नहीं किया है। परंतु फरियादिया ने उसके साथ लकड़ी से हुई मारपीट का समर्थन उसकी साक्ष्य से किया है। चिकित्सक ने फरियादिया की पीठ की चोट पर खरौंच के निशान किसी कड़ी व बोथरी वस्तु से आना पाया था। चिकित्सक ने उसकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि फरियादिया की पीठ की उपहति किसी धारदार हथियार से कारित होकर घाव कटे हुए थे। फरियादिया ने उसकी पीठ और पैर की चोट लकड़ी से आना बताया है। लकड़ी धारदार हथियार नहीं होती है। इस कारण फरियादिया की साक्ष्य से यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त ने फरियादिया के साथ लकड़ी से मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी। किसी धारदार हथियार से उपहति कारित नहीं की थी। इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा-324 के स्थान पर भा.दं.सं. की धारा-323 का आरोप प्रमाणित माना जाता है। अभियुक्त द्वारा फरियादिया को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में फरियादिया ने कोई कथन नहीं किये हैं। प्रकरण में किसी अन्य साक्षी ने भी इस बिंदु पर कोई साक्ष्य नहीं दी है। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था।

15— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग-2 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा-324 के स्थान पर भा.दं.सं. की धारा-323 का आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 323 के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है।

16— दण्ड के बिंदु पर अभियुक्त को सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर बालाघाट म0प्र0

17— दण्ड के बिंदु पर अभियुक्त के अधिवक्ता श्री राणा की ओर से तर्क किया गया है कि प्रकरण विगत पांच वर्ष से अधिक अवधि से लंबित है, अभियुक्त ने प्रकरण के विचारण का सामना किया है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है अभियुक्त परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति है जिस पर सम्पूर्ण परिवार आश्रित है। अतः उसके विरुद्ध नर्म रूख अपनाया जावे। तर्कों पर विचार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन अभियुक्त ने जिस तरह से मामुली विवाद पर फरियादिया को मारपीट कर उपहति कारित की है उसे देखते हुए उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ देना उचित नहीं होगा। अपितु उसे एक शिक्षाप्रद दण्ड देना उचित होगा। अतः अभियुक्त अशोक उर्फ येशोद पिता खेमराज को भा.दं.सं. की धारा-323 के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास से एवं 300/—(तीन सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

18— प्रकरण धारा-428 दं0प्र0सं0 के तहत प्रमाण पत्र बनाकर संलग्न किया जावे।

19— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक हंसिया का टुकड़ा, एक सूखी लकड़ी मूल्य हीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे, अपील होने पर मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट